रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04052023-245651
CG-DL-E-04052023-245651

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1962] नई दिल्ली, बुधवार, मई 3, 2023/वैशाख 13, 1945
No. 1962] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 3, 2023/ VAISAKHA 13, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मई, 2023

का.आ. 2050(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4613(ई)तारीख 30.09.2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के शामली जिले में ग्रीनफ़ील्ड हाईवे के कि.मी. 0 से कि.मी.15 (ADM, शामली) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "30.10.2022 " को "टाइम्स ऑफ इंडिया" और "दैनिक जागरण" दोनों में प्रकाशित किया गया था ; और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ; और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के शामली जिले में ग्रीनफ़ील्ड हाईवे के कि.मी. 0 से कि.मी. 15 (ADM, शामली) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश	जिले का नाम: शामली				
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: शामली				
	गांव का नाम: ओरंगाबाद उर्फ गंदेवड़ा				
1	687	सरकारी	सेक्टर मार्ग	0.0029	स्टेट गवर्नमेंट ()
2	688	सरकारी	गौहर	0.0255	स्टेट गवर्नमेंट ()
3	689	निजी	कृषि	0.0086	पन्ना एँस्/ओ चोहल ()
4	690	सरकारी	पशुचार	0.0007	स्टेट गवर्नमेंट ()
5	691	सरकारी	सेक्टर मार्ग	0.0083	स्टेट गवर्नमेंट ()
	गांव का नाम: मनट मांटी				
6	1034	निजी	कृषि	0.2652	संतोष देवी डबल्यू/ओ तेजपाल, धर्मेश कुमार एँस्/ओ तेजपाल , शिवराज एँस्/ओ तेजपाल नि ग्राम. ()
	गांव का नाम: थानाभवन पटटी नौगांवा				
7	1043	निजी	कृषि	0.0618	मित्र पल एँस्/ओ जई सिंह नि. ग्राम समर चांद एँस्/ओ जई सिंह नि.ग्राम , कृष्ण पल एँस्/ओ बलजूर नि. ग्राम , एँस्एँम्टी. सुमन डबल्यू/ओ विनय कुमार नि. यारपुर , देशराज एँस्/ओ जई सिंह नि. ग्राम , देशपाल एँस्/ओ ताराचंद नि. रशीद गढ़ ()
8	1044	निजी	कृषि	0.0436	देशराज , मित्रपाल एँस्/ओ जई सिंह नि. थानाभावन ()
9	1050	निजी	कृषि	0.0561	एँस्एँम्टी. रुक्मणी रानी डबल्यू/ओ ब्रजमोहन नि. शामली मनोज कुमार एँस्/ओ बृजमोहन नि. शामली ()
10	1052	निजी	कृषि	0.0226	एँस्एँम्टी. रुक्मणी रानी डबल्यू/ओ ब्रजमोहन नि. शामली मनोज कुमार

					ऍस्/ओ बृजमोहन नि. शामली ()
11	1054	निजी	कृषि	0.0972	ऍस्ऍम्टी. रुक्मणी रानी डबल्यू/ओ ब्रजमोहन नि. शामली मनोज कुमार ऍस्/ओ बृजमोहन नि. शामली ()
12	1382	निजी	कृषि	0.0043	कोशल देवी डबल्यू/ओ चमन सिंह नि.रशीदगढ़ हाल निवासी थानभावन जसवीर सिंह ऍस्/ओ दिलेराम नि. लतीफगढ़ माजरा कस्बा , मूर्ति सैनी डबल्यू/ओ बाली राम,विजयपाल,महीपाल, आजाद सिंह, पप्पु ऍस्/ओ बलिराम निवासी लतीफगढ़ जसबीर, राजबीर ऍस्/ओ दिलेराम नि.लतीफगढ़ माजरा कस्बा कोशल्य देवी डबल्यू/ओ चमन सिंह नि. रशीदगढ़ ,पोनम रानी डबल्यू/ओ शिवकुमार नि. थानभावन , कमलेश गोयल डबल्यू/ओ मोहन लाल नि थानभावन ()
			कुल	**0.5968**	

[फा. सं. 16002/NHAI/PIU/AMB/3D]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd May, 2023

S.O. 2050(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways,S.O. No. 4613(E) dated 30.09.2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of Greenfield Highway on the stretch of land from Km 0 to Km 15 (ADM,Shamli) in the district of SHAMLI in the state of UTTAR PRADESH

And whereas the substance of the said notification has been published in “Times Of India” and “Dainik Jagran” both dated 23.10.2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the Greenfield Highway in the stretch of land from Greenfield Highway (ADM,Shamli) in the district of SHAMLI in the state of UTTAR PRADESH

State: UTTAR PRADESH	**District: SHAMLI**				
Sr. No.	**Survey Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area in Hectare**	**Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.**
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Shamli				
	Village: Aurangabad Urf Gandwada				
1	687	Government	Sector Marge	0.0029	State Government
2	688	Government	Gohar	0.0255	State Government
3	689	Private	Agriculture	0.0086	Punna S/o Chohal
4	690	Government	Pashuchar	0.0007	State Government
5	691	Government	Sector Marge	0.0083	State government
	Village: Manat Manti				
6	1034	Private	Agriculture	0.2652	Santosh Devi W/o Tezpal, Dharmesh Kumar S/o Tezpal , Shivraj S/o Tezpal Ni Gram.
	Village: Thana Bhawan Patti Naugava				
7	1043	Private	Agriculture	0.0618	Mittr Pal S/o Jai Singh Ni. Gram Sumer Chand S/o Jai Singh Ni.Gram , Krishan Pal S/o Baljoor Ni. Gram , Smt. Suman W/o Vinay Kumar Ni. Yarpur , Deshraj S/o Jai Singh Ni. Gram , Deshpal S/o Tarachand Ni. Rasheed Garh
8	1044	Private	Agriculture	0.0436	Deshraj , Mitrpal S/o Jai Singh Ni. Thanabhawan
9	1050	Private	Agriculture	0.0561	Smt. Rukmani Rani W/o Brazmohan Ni. Shamli Manoj Kumar S/o Brijmohan Ni. Shamli
10	1052	Private	Agriculture	0.0226	Smt. Rukmani Rani W/o Brazmohan Ni. Shamli Manoj Kumar S/o Brijmohan Ni. Shamli
11	1054	Private	Agriculture	0.0972	Smt. Rukmani Rani W/o Brazmohan Ni. Shamli Manoj Kumar S/o Brijmohan Ni. Shamli
12	1382	Private	Agriculture	0.0043	Koshal Devi W/o Chaman Singh Ni.RasheedGarh Haal Niwasi Thanbhawan Jasveer Singh S/o Dileram Ni. Lateefgarh Majra Kasba , Murti Saini W/o Baali Ram,Vijaypal,Mahipal, Aajad Singh, Pappu S/o Baliram Niwasi Lateefgarh Jasbir, Rajbir S/o Dileram

					Ni.Lateefgarh Majra Kasba Koshalya Devi W/o Chaman Singh Ni. Rasheedgarh ,Ponam Rani W/o Shivkumar Ni. Thanbhawan , Kamlesh Goyal W/o Mohan Lal Ni Thanbhawan
			TOTAL	**0.5968**	

[F. No. 16002/NHAI/PIU/AMB/3D]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA